

## उल्लंघन पत्र

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002  
ई मेल:- [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज/भील/339/क्वार्ट्ज-फेल्सपार-147

अजमेर दिनांक 16/9/2013

प्रेषित श्री ओम प्रकाश जगेटिया पुत्र श्री राम कंवर जगेटिया  
निवासी-408, सैक्टर न -3, हिरन मगरी

उदयपुर-313002

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले मे स्थित आपकी SURGATI (51/01) क्वार्ट्ज फेल्सपार खान 5.0 हेक्टर  
मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन  
( खान कोड -22RAJ06182 )

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31/8/2013 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण मे पाया गया है कि आपने  
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।  
नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 12(3) The five year period of last approved plan dated 23/11/2007 has already expired and scheme of mining for next five year period have not been submitted 120 days before expiry of last approved mining plan. Mining operation in mines are being carried out without having approved mining scheme in violation of rule 12(3) and 13(1).
- 45(5)(a) Monthly return for the mines from the month of October 2013 have not been submitted. Monthly return should have been submitted before 10<sup>th</sup> of following month.
- 45(5)(b) Annual return of the Mines for the year 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 1st July 2013 in prescribed format .

02. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक